



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 3663/2026

दिव्यांश सिंह उर्फ अंशू

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : - गौरी सुवन पांडे, आनंद कुमार यादव, अश्वनी कुमार सिंह

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- चिनहट, जिला - लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(2), 191(3), 109(1), 3(5), 115(2) और 352 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 236/2026 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र है, उसे इस मामले में झूठा संलिप्त किया गया है और उसकी भूमिका गोली चलाने की नहीं कही गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, वह विचारण में सहयोग करने को तैयार है और वह दिनांक 5.05.2026 से जेल में है, इसलिये

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु, उन्होंने इस का विरोध नहीं किया कि गोली चलाने की भूमिका प्रार्थी को नहीं सौंपी गई है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, जमानत प्रार्थनापत्र की अंतर्वस्तु और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गोली चलाने की भूमिका प्रार्थी को नहीं सौंपी गई है। इसलिये, यह जमानत के लिये एक उपयुक्त मामला है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त प्रार्थी - **दिव्यांश सिंह उर्फ अंशू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगा।

(ii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित हो, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति

के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/269

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

अर्पण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।